संख्या : 3823/सेक-2-पांच-10-4(171)/2010

प्रेषक,

प्रभात कुमार सारंगी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2 समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
(पुरूष/महिला),
जिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 12 नवम्बर, 2010

विषयः-महिला कल्याण विभाग द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर/ किशोरियों, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं/शिशुओं तथा अन्य जरूरतमंद के लिए संचालित आवसीय गृहों के संवासी/संवासिनियों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने से सम्बन्धित।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि महिला कल्याण विभाग द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए विभिन्न जनपदों में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं/ शिशुओं के राजकीय बाल गृह (बालक/बालिका/शिशु), 18 वर्ष से ऊपर की आयु के किशोर/किशोरियों की देखरेख हेतु संचालित राजकीय पश्चातवर्ती देखरेख और संगठन, अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम, 1956 यथा संशोधित अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत राजकीय संरक्षण गृह (महिला), जिला शरणालय एवं प्रवेशालय तथा निराश्रित महिलाओं के लिए राजकीय महिला आश्रम संचालित हैं। पूर्व में स्थानीय प्रशासकीय निर्देशों के अनुक्रम में जनपद स्तर पर इस संस्थाओं में आवासित संवासी/संवासिनियों की चिकित्सा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा संस्थाओं के लिए राजकीय चिकित्सक नामित किये गये हैं, जिनका यह उत्तरदायित्व है कि वे सप्ताह में कम से कम एक बार उपरोक्त गृहों में भ्रमण कर संवासी/संवासिनियों का चिकित्सकीय परीक्षण कर उनकी चिकित्सकीय आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगें।

सिविल मिस रिट पिटीशन (पी0आई0एल0) संख्या 60544/2007 सम्बद्ध जनहित याचिका संख्या 2084/2008 क्वालिटी इन्स्टीट्यूशनल केयर एण्ड आर्ल्टनेटिव फार चिल्ड्रेन बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 25.06.08 के द्वारा समस्त संस्थाओं की अन्य बिन्दुओं के साथ चिकित्सकीय व्यवस्था का भी स्थलीय निरीक्षण कराया गया था, जिसमें स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी है। मा0 न्यायालय के आदेशानुसार उक्त निरीक्षण आख्या शपथ-पत्र के माध्यम से मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यवाही की जायः-

(1) महिला कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न अधिनियमों व अन्य के अन्तर्गत संचालित समस्त संस्थाओं के लिए कम से कम एक (पुरूष/महिला) चिकित्सक को उपचार हेतु नामित करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित कर दिया जाय कि वे रोटेशन के आधार पर सम्बन्धित चिकित्सकों को उपचार एवं परीक्षण के लिए नामित करें, जिसका यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सप्ताह में कम से कम एक बार प्रत्येक संस्था में भ्रमण कर समस्त

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण, डा0 अम्बेडकर ग्रा0 स0 विकास,
महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

संवासियों/संवासिनियों का चिकित्सकीय परीक्षण करते हुए उनकी चिकित्सकीय आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे और यदि रोग की गम्भीरता पायी जाती है, तो उसे उच्चतर उपचार के लिए उच्चतर चिकित्सालय को सन्दर्भित करेंगे।

(2) नामित चिकित्सक द्वारा संवासी/संवासिनियों के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में नामित चिकित्सक द्वारा मांगपत्र प्रस्तुत किये जाने पर जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा औषधियों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त दवायें अन्य रोगियों की तरह ही उन्हें भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी।

(3) विशेष आवश्यकता पड़ने पर बीमार संवासी/संवासिनियों को जिला चिकित्सालय में चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार अस्पताल में भर्ती कराया जायेगा तथा उनके आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण एवं आवश्यक दवाईयों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तावित अनुतोष संबंधित चिकित्सक को प्रति भ्रमण के अनुसार प्राप्त होगा।

(5) चिकित्सक के भ्रमण पर आने जाने हेतु होने वाला व्यय भी महिला कल्याण विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को प्रतिमाह वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय।

भवदीय,

11-10.

(प्रभात कुमार सारंगी)
सचिव।

संख्या :3823(1)/सेक-2-पाँच-10, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डायुक्त उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. चिकित्सा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव।

आई.सी.पी.एस. के कार्यान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश/बैठक की कार्यवृत्ति

(1)

कसं.	शासनादेश/निदेशालय का पत्रांक एवं दिनांक	विषय
1	4931/60–1–10–1/13 (71)/06, दिनांक 03.12.2010	आई.सी.पी.एस., दिनांक 24.11.2010 से तात्कालिक प्रभाव से लागू किये जाने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप।
2	4934/60–1–10–1/13 (71)/06, दिनांक 03.12.2010	आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारियों को जिला बाल संरक्षण अधिकारी नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप।
3	4933/60–1–10–1/13 (71)/06, दिनांक 03.12.2010	आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत राज्य परियोजना सहायता यूनिट (एस.पी.एस.यू.) के गठन से सम्बन्धित।
4	4930/60–1–10–1/13 (71)/06, दिनांक 03.12.2010	आई.सी.पी.एस. के कियान्वयन से सम्बन्धित समस्त जिलाधिकारियों के लिये दिशा निर्देश।
5	119/60–1–10–1/13 (71)/06, दिनांक 17.02.2011	आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत "राज्य बाल संरक्षण संस्था/समिति" (एस.सी.पी.एस.) के गठन हेतु प्रबन्धकारिणी समिति एवं कार्यकारिणी समिति का गठन।
6	840/60–1–10–1/13 (71)/06, दिनांक 14.03.2011	आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति का गठन सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण होने के फलस्वरूप राज्य बाल संरक्षण समिति की नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला बाल संरक्षण समिति "डी.सी.पी.एस." के गठन हेतु पदाधिकारियों/ सदस्यों का विवरण।
7	839/60–1–10–1/13/(71)/06, दिनांक 14.03.2011	आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत स्ट्रीट चिल्ड्रेन को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से खुले आश्रय गृह के प्रस्ताव के संबंध में।
8	1128/60–1–10–1/13(71)/06, दिनांक 26.04.2011	आई0सी0पी0एस0 के कियान्वयन के संबंध में निर्देश।

9	1132/60–1–10–1/13(71)/06, दिनांक 26.04.2011	आई0सी0पी0एस0 के कियान्वयन के संबंध में समस्त जिला प्रोवेशन अधिकारियों को निर्देश।
10	1274/60–1–10–1/13(71)/06, दिनांक 30.05.2011	आई0सी0पी0एस0 के अर्न्तगत स्ट्रीट चिल्ड्रेन को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से खुले आश्रय गृह के प्रस्ताव का चयन कराये जाने के संबंध में।
11	1274(2)/60–1–10–1/13(71)/06, दिनांक 30.05.2011	जे0जे0बी0 तथा सी0डब्लू0सी0 की बैठकों हेतु भवन चयन के संबंध में।
12	2206/60–1–1–11/13(69)/04, दिनांक 03.08.2010	बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के अभिमुखीकरण हेतु बैठक के आयोजन के संबंध में।
13	2271/60–1–11–1/13 (40)/11, दिनांक 05.08.2011	राजकीय बाल संरक्षण समिति की प्रबन्धकारिणी द्वारा की गयी प्रथम बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्रतिष्ठित संगठनों की एक उप समिति बनाने के निर्णय पर कार्यवाही।